

न्यायालय कार्मर्शियल कोर्ट नं0-1, लखनऊ

UPLK190005862024



Civil Suit No.-183/2024

State Bank of India Vs. M/s Gunjan Traders & Others

दिनांक 14.03.2026:-

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तरफ से आवेदन कागज संख्या ए-13 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वाद का निपटारा कर लिया गया है और निपटारे की राशि वादी बैंक को प्राप्त हो चुका है। उपरोक्त समझौते के अनुसरण में प्रतिवादीगण को अदेयता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा आवेदक कागज संख्या ए-13 के माध्यम से उपरोक्त वाद को वापस लेने का निवेदन किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। अतः न्यायहित में आवेदन कागज संख्या ए-13 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदन कागज संख्या ए-13 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद नियमानुसार वापस किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(सत्यदेव गुप्ता)

पीठासीन अधिकारी,
कार्मर्शियल कोर्ट नं0-1,
लखनऊ
आई0डी0 यू0पी0 6018